ग्राम पंचायत भरोली जदीद, विकास खण्ड प्रागपुर, जिला काँगड़ा के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2014 से 31.03.2017

1 प्रस्तावना (क) :-

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयुंक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2017 **द्वारा** पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र., को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत भरोली जदीद, विकास खण्ड प्रागपुर, जिला काँगड़ा के अवधि **01.04.2014** से **31.03.2017** के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग **द्वारा** किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थे :-

प्रधान :-

1	श्रीमति पूनम शर्मा	1-4-2014 से 22-1-2016
2	श्री रजिंद्र कुमार	23-1-2016 से लगातार

सचिव :-

1	श्री दिनेश कुमार	1-4-2014 से 31-3-2015
2	श्रीमति नीलम कुमारी	1-4-2015 से लगातार

(ख) **गम्भीर अनियमितताओं का सार:-**

ग्राम पंचायत भरोली जदीद के लेखाओं अवधि **01.04.14** से **31.03.17** के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है।

क्र०सं०	**पैरा सं०**	**अनियमितताओं का संक्षिप्त सार**	**राशि लाखों में (₹)**
1	9	अनुदान का उपयोग न करना	15.43
2	10	प्राप्त अनुदानों की राशि से अधिक व्यय	0.93
3	13	निर्माण कार्यों के मूल्याँकन (Assessment) के बिना भुगतान करना	3.43

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत भरोली जदीद , विकास खण्ड प्रागपुर, जिला काँगड़ा के अवधि 1-4-2014 से 31-3-2017 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री जितेन्द्र सिंह, अनुभाग अधिकारी व श्री जीवन कुमार कनिष्ठ लेखा परीक्षक **द्वारा** दिनांक 25-10-2017 से 28-10-2017 तक ग्राम पंचायत भरोली जदीद में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया।

वित्तीय वर्ष	**आय**	**व्यय**
2014-1 5	3/2015	1/2015
2015-16	3/2016	11/2015

2016-17 7/2016 3/2017

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी **द्वारा** उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत **द्वारा** अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/ अभिलेख के अपूर्ण/ गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र. उत्तरदायी नहीं होगा ।

3 अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत भरोली जदीद, विकास खण्ड प्रागपुर, जिला काँगड़ा के अवधि **1-4-2014** से **31-3-2017** तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क **₹7200** बनता है । उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि०प्र०) शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या **263 /2017** दिनांक **28-10-2017 द्वारा** अनुरोध किया गया ।

4 वितीय स्थिति:-

ग्राम पंचायत भरोली जदीद **द्वारा** प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि **01.04.14** से **31.03.17** के लेखाओं वितीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :-

(1) स्व स्त्रौत :-ग्राम पंचायत भरोली जदीद के अवधि **01.04.14 से 31.03.17** तक की स्व स्त्रौतों की वित्तीय स्थिति का विवरण :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	360553.00	83370.00	443923.00	13799.60	430123.40
2015-16	430123.40	52680.00	482803.40	10791.72	472011.68
2016-17	472011.68	97693.00	569704.68	92122.44	477582.24

(2) **अनुदान :-**ग्राम पंचायत भरोली जदीद के अवधि **01.04.14 से 31.03.17 तक** की अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट-1 में भी दिया गया है :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	328006.00	1280154.00	1608160.00	1129773.00	478387.00
2015-16	478387.00	1985633.00	2464020.00	1738682.00	725338.00
2016-17	725338.00	2649881.00	3375219.00	1832028.00	1543191.00

5 बैंक समाधान विवरणी :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत भरोली जदीद के अंकेक्षण अवधि के अंत में **दिनांक 31-03-2017** को निम्नानुसार रोकड़ बही तथा बैंक खातों में ₹**247027.55** का अंतर था जिसकी समाधान विवरणी परिशिष्ट (2) पर सलंग्न है ।

1 रोकड़ बही खाता क पैरा 4(1)का अन्तशेष ₹477582.24

2 रोकड़ बही खाता ख पैरा 4(2) का अन्तशेष ₹1543191.00

योग ₹2020773.24

दिनांक 31-03-2017 को बैंक में जमा राशि तथा हस्तगत राशि का विवरण निम्नानुसार था ।

क्र. सं	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि
1	**KCCB RAKKAR**	**20044009582**	**1000537.00**
2	**KCCB RAKKAR**	**50059360677**	**258643.00**
3	**KCCB RAKKAR**	**50059362278**	**322.00**
4	**KCCB RAKKAR**	**50059362314**	**1134.00**
5	**HGB RAKKAR**	**87990100028071**	**423076.24**
6	**HGB RAKKAR**	**87990100042497**	**56489.00**
7	**POST OFFICE RAKKAR**	**7542953481**	**33233.45**
		Total	**₹1773434.69**
		Cash in hand sabha nidhi	**311.00**
		G.Total	**₹1773745.69**

अन्तर = 2020773.24– 1773745.69 = ₹247027.55

6 डाकघर बचत खाते पर ब्याज प्राप्त न करना :--

ग्राम पंचायत की डाकघर बचत खाता **संख्या 7542953481 में ₹33233 जमा** थे परन्तु डाकघर **द्वारा 4/2015** से इस खाते पर कोई भी ब्याज नहीं लगाया गया । अत: उक्त खाते पर ब्याज प्राप्त करके अनुपालना से अवगत करें ।

7 निर्धारित बजट प्राक्कलन तैयार न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव **द्वारा** फार्म-11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था । अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत **द्वारा** अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था । इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार / अनुमोदित न करने के कारण पंचायत **द्वारा** किया गया व्यय अनियमित था । अतः बजट प्राक्कलनों को तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाये ।

8 पंचायत राजस्व की वसूली :-

पंचायत सचिव भरोली जदीद **द्वारा** उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक **31-03-2017** तक पंचायत राजस्व गृहकर **₹785** वसूली हेतु शेष थी ।

1. **गृहकर :**

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2014-15	2705	9330	12035	10915	1120

2015-16	1120	9330	10450	10230	220
2016-17	220	10135	10355	9570	785

(2) .हिमाचल प्रदेश पंचायती राज [वित बजट लेखे संकर्म कराधान व भते] नियम 2002 के नियम 33 और 77 के अनुसार फॉर्म 10 पर पंचायत के गृहकर का मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत **द्वारा** अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत के गृहकर का मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार नहीं किया गया। अत: गृहकर का मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियानुसार अभिलेख तैयार करना सुनिश्चित किया जाए ।

9 अनुदान ₹15.43 लाख का उपयोग न करना ;-

पंचायत **द्वारा** अनुदानों से संबन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना (परिशिष्ट-1) के अनुसार दिनांक 31.03.17 तक अनुदान ₹1543191 उपयोग हेतु शेष थी । ग्राम पंचायत **द्वारा** विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ- साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा । अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ोतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण संबन्धित संस्था को किया जाये ।

10 प्राप्त अनुदानों की राशि से ₹0 . 93 लाख का अधिक व्यय : –

सचिव ग्राम पंचायत भरोली जदीद **द्वारा** उपलब्ध करवाए गये आंकड़ो तथा वितीय स्थिति के अनुसार SDP,ZP में दिनांक 31-03-2017 को ₹93479 ऋणात्मक दर्शाई गयी है। जो कि किसी अन्य योजना के व्यय का लेखांकन SDP, ZP में अथवा किसी अन्य योजना से SDP, ZP का भुगतान करने के फलस्वरूप है । इस चूक का नियमानुसार निराकरण सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अवगत करवाएं।

SDP	(-) 42959
ZP	(-) 50520
योग	**(-) 93479**

11 सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये अनुदान के आदेश की प्रति/पत्र जाँच हेतु उपलब्ध न करवाना:-

ग्राम पंचायत **द्वारा** अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किये गये अनुदानों के पत्रों की प्रति अंकेक्षण में जाँच हेतु उपलब्ध नहीं करवाई गयी जिसके अभाव में यह ज्ञात नहीं हो सका कि पंचायत **द्वारा** प्राप्त किये गये अनुदान किस उदेश्य/कार्य विशेष के लिए प्राप्त किये गये हैं। चर्चा में बताया गया कि पंचायत में अनुदान के आदेश पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय **द्वारा** राशि प्राप्त होने के उपरान्त मौखिक रूप में अनुदान के प्रायोजन बारे सूचित किया जाता है जो कि अनुचित है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रायोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता । इस प्रकरण को विशेष रूप से उच्च अधिकारिओं के ध्यान में लाया जाता है।

12 मनरेगा कार्यों के लिए HPSCSC को सीमेंट क्रय के लिए भुगतान की गई राशि समायोजन हेतु ₹203 शेष :_-

मनरेगा रोकड़ बही की जाँच करने पर पाया गया कि HPSCSC से विभिन्न निर्माण कार्य करवाने के लिए सीमेंट क्रय करने के लिए राशि FTO द्वारा HPSCSC के खाते में जमा करवाई गई परन्तु रोकड़ बही में दर्ज की गई प्रविष्टियों के अनुसार HPSCSC के पक्ष में ₹203 अभी समायोजन हेतु शेष दर्शायी गई

जिसका शीघ्र समायोजन किया जाए।

13 निर्माण कार्यों के मूल्याँकन (Assessment) के बिना ₹3.43 लाख का भुगतान करना :-

प्रधान सचिव (ग्रा० वि० एवं पं० रा०) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या :एस एम् एस -17 /2002-आर डी डी (जी आर एस) दिनांक 22-9-2009 के **द्वारा** जारी निर्देशों के अनुसार तकनीकी सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता की **मूल्याँकन** (assessment) के पश्चात ही पंचायत **द्वारा** भुगतान किया जाएगा। परन्तु जाँच में पाया गया कि निम्न विवरण के अनुसार पंचायत **द्वारा** ₹343462 का भुगतान **मूल्याँकन** (assessment) के बिना किया गया। अत: इस अनियमितता बारे उचित स्पष्टिकरण प्रस्तुत करते हुए **मूल्याँकन** (assessment) के बिना भुगतान पर अविलम्ब रोक लगाई जाए।

बा. सं.	**मास**	**कार्य का नाम**	**राशि**
सामान्य रोकड़ बही			
80	11/2015	मुरम्मत रास्ता विशाल ठाकुर के घर से सम्पर्क मार्ग बुहला हेमराज के घर तक	64061
81	11/2015	मुरम्मत रास्ता विशाल ठाकुर के घर से सम्पर्क मार्ग बुहला हेमराज के घर तक	4800
Nil	11/2015	मुरम्मत रास्ता अशोक कुमार के घर से टेक चंद के घर तक	7075
Nil	11/2015	मुरम्मत रास्ता अशोक कुमार के घर से टेक चंद के घर तक	7125
86	11/2015	मुरम्मत रास्ता अशोक कुमार के घर से टेक चंद के घर तक	33464
87	11/2015	मुरम्मत रास्ता अशोक कुमार के घर से टेक चंद के घर तक	22400
Nil	11/2015	निर्माण पक्का रास्ता व् डंगा शेर सिंह के घर से पवन कुमार के घर तक	5700
94	3/2017	मुरम्मत वावडी डोडवा नजदीक हनुमान मंदिर	27648
99	3/2017	मुरम्मत वावडी डोडवा नजदीक हनुमान मंदिर	35366
Nil	1/2015	निर्माण रास्ता व् निकासी नाली त्रिलोक चंद के घर से दुराह	9310
60	1/2015	निर्माण रास्ता व् निकासी नाली त्रिलोक चंद के घर से दुराह	4760
65	1/2015	निर्माण पक्का रास्ता व् डंगा नजदीक मदन लाल, संजय कुमार निचली भरोली	23620
66	1/2015	निर्माण रास्ता व् निकासी त्रिलोक चंद के घर से दुराह	17164
IWMP			
17	1/2015	RWHT GPS भरोली	1000
18	1/2015	RWHT GPS भरोली	1045
19	1/2015	RWHT लड़ोआ	1000
MGNREGA			
7	1/2015	निर्माण कार्य कुहल धीमान वस्ती से कडाह नाला वार्ड 2	10530

8	11/2015	निर्माण कार्य कुहल धीमान वस्ती से कडाह् नाला वार्ड 2	3888
80	3/2017	निर्माण लिंक रोड व् वचाव दीवार बिनोद कुमार की पशुशाला से ठाकुर बाला खेत	42150
81	3/2017	निर्माण कार्य कुहल धीमान वस्ती से कडाह् नाला वार्ड 2	7306
82	3/2017	निर्माण लिंक रोड व् बचाव दीवार हरिया राम के घर से अमर नाथ पशुशाला लड़ोआ	14050
		कुल योग	**₹343462**

14 **विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करना :-**

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों / अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था । अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत **द्वारा** निम्न रजिस्टरों / अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जो कि अनियमित व आपतिजनक है । अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

क्रम	**रजिस्टर/अभिलेख**	**फॉर्म संख्या**	**संदर्भित नियम**
1	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
2	विभिन्न अनुदानों के लेजर खाते	7	29(1)
3	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
4	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
5	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
6	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)

15 **प्रत्यक्ष सत्यापन :-**

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत **द्वारा** भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए ।

16 **लघु आपति विवरणिका:-** इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु छोटी -2 आपतियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया ।

17 **निष्कर्ष** :- लेखाओं के रख रखाव में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(2)154/2017 खण्ड–1–1979–1982 दिनांक 19.03.2018 शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 जिला पंचायत अधिकारी, कांगड़ा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0

3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड प्रागपुर, जिला कांगड़ा हि0प्र0

पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत भरोली जदीद, विकास खण्ड प्रागपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881